न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/22 **दायरा दिनांक : 08.03.2022**

उनवान

1. बबलू आयु 32 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय नन्दकिशोर, जाति मेघवाल,
2. ग्यारसी बाई आयु 60 वर्ष, बेवा स्वर्गीय नन्दकिशोर, जाति मेघवाल
   अकवाम निवासीगण ग्राम परपती, तहसील इकलेरा, हाल मुकाम असफली, पोस्ट मोडक स्टेशन, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1. मथुरालाल पुत्र भैरूलाल, जाति चमार, निवासी परपती (मृतक) जरिये कायम मुकामः—
   1/1. गुलाब बाई बेवा मथुरा
   1/2. मांगीलाल पुत्र श्री मथुरा
   1/3. सीताराम पुत्र श्री मथुरा
   1/4. द्वारका बाई पुत्री मथुरा
   1/5. सुनीता बाई पुत्री मथुरा
   अकवाम जाति मेघवाल, निवासीगण गिन्दौर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)
2. सोना बाई आयु 65 वर्ष, पुत्री बलदेव, पत्नी स्वर्गीय मन्नालाल, जाति मेघवाल, निवासी पतरिया, तहसील इकलेरा हाल मुकाम बंजारा मोहल्ला, मनोहरथाना रोड़, अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.)
3. ग्यारसीराम पुत्र नाथ्या, जाति मेघवाल (मृतक) जरिये कायम मुकामः—
   3/1. विनोद पुत्र स्वर्गीय ग्यारसीराम, जाति मेघवाल,
   3/2. नरेन्द्र पुत्र स्वर्गीय ग्यारसीराम, जाति मेघवाल,
   अकवाम राम मंदिर की गली, गिन्दौर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
   3/3. सीमा पुत्री स्वर्गीय ग्यारसीराम, जाति मेघवाल, पत्नी श्री राजेश जाति मेघवाल, निवासी कुंडवा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)
   3/4. सुनीता पुत्री स्वर्गीय ग्यारसीराम, पत्नी बंटी मेघवाल, निवासी हनोतखेड़ा,तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)
   3/5. उर्मिला पुत्री स्वर्गीय ग्यारसीराम पत्नी धनराज, जाति मेघवाल, निवासी कनवास, तहसील कनवास, जिला कोटा (राज.)
   3/6. प्रियंका बाई पुत्री स्वर्गीय ग्यारसीराम, जाति मेघवाल, निवासी राम मंदिर की गली, गिन्दौर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड
   3/7. चन्द्री बाई बेवा ग्यारसीराम, जाति मेघवाल, निवासी गिन्दौर, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4. राजू पुत्र नाथ्या, जाति मेघवाल, निवासी कृषि उपज मण्डी के पीछे, मारूति नगर, अकलेरा, जिला झालावाड़
5. नन्दू बाई पुत्री नाथ्या पत्नी श्री [illegible]लाल, जाति मेघवाल, निवासी तुरकाड़िया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज.)
6. गीता बाई पुत्री नाथ्या पत्नी कन्हैयालाल, जाति मेघवाल, निवासी टोडी मोहल्ला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
7. नाथूलाल पुत्र श्री कंवरलाल, जाति मीणा, निवासी परपति (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
   7/1. कल्याण पुत्र नाथूलाल
   7/2. भूली बाई बेवा नाथूलाल
   7/3. गुलाब बाई पुत्री नाथूलाल
   7/4. संतोष बाई पुत्री नाथूलाल
   अकवाम जाति मीणा, निवासी परपति, तहसील अकलेरा जिला झालावाड़
8. पांथूलाल पुत्र कंवरलाल,
9. फूलचन्द पुत्र कंवरलाल
   अकवाम जाति मीणा, निवासी परपति, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रविशंकर विजय अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 4, 5, 6 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 30.04.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 1565/दावा/1998 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2000 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 6 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 91, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम परपती, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 70 की खसरा नम्बर 468 की 6 बीघा 9 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.07.2000 से दावा वादीगण डिकी कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी खातेदार वादी क्रम– 1 मथुरा, बलदेव, नाथ्या पुत्रगण भैरू चमार के खाते की थी, सहखातेदार बलदेव, नाथ्या फोत हो जाने से उनके वारिसान द्वारा वाद पेश किया गया एवं वादी क्रम–1 मथुरा की एवं प्रतिवादी क्रम–1 नाथूलाल की दौराने वाद मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया। परन्तु नाथ्या के जीवनकाल में उसके मृतक पुत्र जो अपीलान्ट के पिता व पति नन्दकिशोर को पक्षकार नहीं बनाया गया जो अवैधानिक है। यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित आराजी के सहखातेदार मृतक नाथ्या के वारिसान वादीगण क्रम–3 लगायत 6 के अलावा एक पुत्र नन्दकिशोर भी था जिसकी मृत्यु सहखातेदार नाथ्या के जीवनकाल में दिनांक 22.08.1990 को हो चुकी थी परन्तु वादीगण ने जानबूझ कर नन्दकिशोर के वारिसान अपीलान्ट क्रम 1 व 2 को दावे में पक्षकार नहीं बनाया और तथ्य छिपा कर वाद प्रस्तुत कर एकतरफा वाद डिक्री करवा लिया जो अवैधानिक है। अपीलान्ट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक खातेदार नाथ्या के हिस्से की आराजी पर वादीगण 3 लगायत 6 के साथ सहखातेदार घोषित होने के अधिकारी है। कानूनन अपीलान्ट भी नाथ्या खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू की ओर गौर नहीं फरमाया। यदि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में दावे में पक्षकार बनाया जाता तो अपीलान्ट अपनी जवाबदेही पेश करते अपीलान्ट को पक्षकार न बनाना व सुनवायी का अवसर नहीं देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। वाद पत्र के मुताबिक वादी ग्यारसीराम फोत हो चुका है, उसके भी कायम मुकाम बनाये जाकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2000 में संशोधित आदेश पारित किया जावे कि ग्राम परपति, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ के खसरा नम्बर–468 की 6 बीघा 9 बिस्वा आराजी का वाद पत्र के मुताबिक वादीगण क्रम–2 व 3 लगायत 6 तथा अपीलान्ट को समभाग से वादी नं.–1 के साथ अपीलान्ट को भी खातेदार घोषित किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.12.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट लिस्टिंग दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी खसरा नम्बर 468 की 6 बीघा 9 बिस्वा आराजी वाके ग्राम परपती, तहसील अकलेरा के मामले में वादीगण क्रम 1 लगायत 6 ने एक वाद अन्तर्गत धारा–91, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 4 के विरूद्ध पेश किया जिसमें वादीगण क्रम–3 लगायत 6 मृतक नाथ्या के वारिसान ने, अपीलान्ट जो नाथ्या के मृतक पुत्र स्वर्गीय नन्दकिशोर जिसकी मृत्यु दिनांक 22.08.1990 को नाथ्या के जीवनकाल में हो चुकी थी, के वारिसान अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा वाद डिक्री कर दिया गया। विवादित आराजी के सहखातेदार नाथ्या के अपीलान्ट प्राकृतिक वारिस होने के कारण प्रभावित एवं आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2000 के विरूद्ध जानकारी की दिनांक से अवधि मध्य माननीय न्यायालय में अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी खातेदार वादी क्रम–1 मथुरा, बलदेव, नाथ्या पुत्रगण भैरू चमार के खाते की थी, सहखातेदार बलदेव, नाथ्या फोत हो जाने से उनके वारिसान द्वारा वाद पेश किया गया एवं वादी क्रम–1 मथुरा की एवं प्रतिवादी क्रम–1 नाथूलाल की दौराने वाद मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया। परन्तु नाथ्या के जीवनकाल में उसके मृतक पुत्र जो अपीलान्ट के पिता व पति नन्दकिशोर को पक्षकार नहीं बनाया गया जो अवैधानिक है।

यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित आराजी के सहखातेदार मृतक नाथ्या के वारिसान वादीगण क्रम–3 लगायत 6 के अलावा एक पुत्र नन्दकिशोर भी था जिसकी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मृत्यु सहखातेदार नाथ्या के जीवनकाल में दिनांक 22.08.1990 को हो चुकी थी परन्तु वादीगण ने जानबूझ कर नन्दकिशोर को वारिसान अपीलान्ट क्रम–1 व 2 को दावे में पक्षकार नहीं बनाया और तथ्य छिपाकर वाद प्रस्तुत कर एकतरफा वाद डिक्री करवा लिया जो अवैधानिक है।

अपीलान्ट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक खातेदार नाथ्या के हिस्से की आराजी पर वादीगण 3 लगायत 6 के साथ सहखातेदार घोषित होने के अधिकारी है। कानूनन अपीलान्ट भी नाथ्या खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू की ओर गौर नहीं फरमाया। यदि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में दावे में पक्षकार बनाया जाता तो अपीलान्ट अपनी जवाबदेही पेश करते अपीलान्ट को पक्षकार न बनाना व सुनवायी का अवसर नहीं देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है।

वाद पत्र के मुताबिक वादी ग्यारसीराम फोत हो चुका है, उसके भी कायम मुकाम बनाये जाकर अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट सहखातेदार नाथ्या के मृतक पुत्र नन्दकिशोर के पुत्र व पत्नी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक विवादित आराजी में वादी क्रम–3 लगायत 6 के साथ अपीलान्ट का भी हक व अधिकार बनता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित होते हैं ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को हितबद्ध, प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 एवं धारा–151 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रकरण की परिस्थिति एवं न्याय हित को देखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 स्वीकार फरमाया जाकर अपील का मेरिट पर निर्णय फरमाया जावे।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2000 में संशोधित आदेश पारित किया जावे कि ग्राम परपति, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ के खसरा नम्बर–468 की 6 बीघा 9 बिस्वा आराजी का वाद पत्र के मुताबिक वादीगण क्रम–2 व 3 लगायत 6 तथा अपीलान्ट को समभाग से वादी नं.–1 के साथ अपीलान्ट को भी खातेदार घोषित किया जावे अथवा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलान्ट को पक्षकार बनाते हुए नियमानुसार सुनवायी का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। धारा 96 सी.पी.सी. पर अपील पेश की है। नाथ्या का लडका नन्दकिशोर होना अंकित किया है। नन्दकिशोर के बबलू पुत्र व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ग्यारसीबाई पत्नी थी। अधीनस्थ न्यायालय में नन्दकिशोर के वारिस साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य व शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। अपील गम्भीर रूप से मियाद बाहर है। अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में नाथूलाल के वारिसान की ओर से दावा पेश हुआ है। नन्दकिशोर की मृत्यु नाथ्या के पहले हो गयी थी। अतः नाथ्या के जीवित रहते हुए पक्षकार बनाने का प्रश्न नहीं उठता है। यदि तथाकथित रूप से पत्नी रही भी हो तो नन्दकिशोर की मृत्यु के बाद नाते चली गई होगी। धारा 96 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 96 व 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अपीलांट विवादित आराजी के सहखातेदार नाथ्या के मृतक पुत्र नन्दकिशोर के पुत्र व पत्नी है। नन्दकिशोर की मृत्यु नाथ्या के जीवनकाल में ही हो चुकी थी इसकी जानकारी वादीगण क्रम 3 लगायत 6 को थी परन्तु उन्होंने जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के दावे में पक्षकार नहीं बनाया, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक विवादित आराजी में वादीगण क्रम 3 लगायत 6 के साथ अपीलांट का भी हक व अधिकार बनता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.07.2000 से अपीलांट के हित प्रभावित होते हैं। अतः विवादित आराजी के मामले में अपीलांट को प्रभावित हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार मानते हुए अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें।

अपीलांट ने स्वयं को विवादित आराजी के सहखातेदार नाथ्या के मृतक पुत्र नन्द किशोर का पुत्र व पत्नी बताते हुए धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है परन्तु इस प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही स्वयं को नन्द किशोर का वारिस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य/पहचान पत्र आदि प्रस्तुत किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलांट को मृतक नन्दकिशोर का वारिस मानते हुए अपीलाधीन निर्णय में प्रभावित, हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार मानना प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता।

अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 व 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/04/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा